केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066.
******

दिनांक: 26.07.2017

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2017/236
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2017/00229
CICOM/R/2017/00514

अपीलकर्ता : श्री मनोज मिश्रा,
गायत्री मंदिर रोड भदरापारा,
बालको नगर कोरबा,
ज़िला - कोरबा, छत्तीसगढ़ - 495684.

निर्णय की तारीख : 26.07.2017

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	17.04.2017
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	19.05.2017
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री एस. एस. रोहिल्ला
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	26.05.2017
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	150368/21.07.2017

1. अपीलकर्ता ने अपने दिनांक 17.04.2017 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से आयोग के आदेश सं. CIC/YA/A/2016/000429/SB से संबंधित सूचनाएं मांगी थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री एस. एस. रोहिल्ला, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध अपीलकर्ता ने प्रथम अपील दाखिल किया है जा कि दिनांक 21.07.2017 को केन्द्रीय सूचना आयोग में तथा दिनांक 24.07.2017 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्राप्त हुआ है ।

2. संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के दिनांक 17.04.2017 का आर.टी.आई. आवेदन से संबंधित सूचना श्री वी. के. शर्मा की जगह तैनात श्री एस. एस. रोहिल्ला, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा अपीलकर्ता को दिनांक 19.05.2017 को प्रेषित कर दी गई है । श्री एस. एस. रोहिल्ला द्वारा प्रदान की गई सूचना बिल्कुल सही है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है । साथ ही यह भी उल्लेख किया जाता है कि आयोग द्वारा जारी आदेश पर केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी या प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई टिप्पणी/व्याख्या नहीं की जा सकती । ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता को प्रथम अपील दाखिल करने से पूर्व श्री रोहिल्ला द्वारा प्रेषित सूचना प्राप्त नहीं हुई है, अतः श्री रोहिल्ला द्वारा प्रदान की गई सूचना की प्रति इस आदेश के साथ संलग्न है ।

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है ।

संलग्नक : यथोपरि ।

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :
1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

C.I.C./के० सू०
RECEIVED
27 JUL 2017
No. Swati